SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A K. Gunta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

••••••	ess of the Complainant
	8 pr = 5.718 3
	2110 80 21188,
	Name parentage caste and address of accused
	1 25 at 10. 015 or 8 are 21/2011
	0 0159 3 % TIES ON O DET DITEMPORE
	25 at 110.0115 (8 -160 0116-1116
	The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
74.	
*.	आप पर आरोप (ह कि दिनांक 9-11-1
	आप पर आरोप है कि दिनांक 4-11-12 गुकाम जिल्ला स्टिश् अगुज़िया के अपने
mem at il	27 लीटर/पाव/बोतल 271/शराब विकथ/परिव्रहन हेतु रखी।
आधितस्य । .	ऐसा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की घारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय
अपराघ कारि	न किया।
	क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
	हस्ता.
	The plea of the accused and his examination (if any)

appor

हस्ता.

solution sour Section 200

//निर्णय//

(आज दिनांक .15 ना न को घोषित)

01. <u>अभियुक्त के विरूद</u> आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त

किया ।

02 संक्षिप्त विचारण किया गया। अत अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वोकारा वित के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की घारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी उहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।

03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अविध तक की संजा एवं रूपये उठ्ठ शब्दों में प्रान्ध दें। कि प्राप्त के। साधारण कारावास की राजा भुगतायी जावे।

STUTO)